


संख्या- 1/स्था0 (1) 702/2017-1040

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यहित में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 84 के तहत पशु शल्य चिकित्सक, बाढ़, पटना एवं सहायक निदेशक (पशु विकास), वृहत् पशु विकास परियोजना (क्षे0 स्तर), बाढ़, पटना के कार्यालयों की स्थापना मद से निकासी हेतु डॉ0 रामविलास पासवान, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, बाढ़, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।



(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017-1040

/ पटना-15,दिनांक- 20/03/18


प्रतिलिपि:- महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/पटना कोषागार एवं उप कोषागार, बाढ़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017-1040

/ पटना-15,दिनांक- 20/03/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदा0, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत् पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक (पशु विकास), वृहत् पशु विकास परियोजना (क्षे0 स्तर), बाढ़, पटना/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित पशु शल्य चिकित्सक/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0, प्रशाखा- 2/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

